

समाहरणालय, मुंगेर।
(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग,)

आदेश

निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना के आवंटन आदेश संख्या-28 दिनांक-07.06.2013 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष-2013-14 में राज्य योजनान्तर्गत बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजनान्तर्गत (सामान्य घटक) के अधीन कार्यालय व्यय मद अन्तर्गत मो0-500000=00(पाँच लाख)रूपये का आवंटन प्राप्त हुए है, जिसे निम्न प्रकार से उपावंटित किया जाता है:-

क्र0	प्रखंड का नाम	उपावंटित राशि(सामान्य घटक)	अभियुक्ति।
1	सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर।	80000=00	
2	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर।	50,000=00	
3	अनुमंडल पदाधिकारी, खड़गपुर।	50,000=00	
4	अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर।	50,000=00	
5	प्रखंड विकास पदाधिकारी, सदर।	30000=00	
6	प्रखंड विकास पदाधिकारी, जमालपुर।	30000=00	
7	प्रखंड विकास पदाधिकारी, बरियारपुर।	30000=00	
8	प्रखंड विकास पदाधिकारी, धरहरा।	30000=00	
9	प्रखंड विकास पदाधिकारी, खड़गपुर।	30000=00	
10	प्रखंड विकास पदाधिकारी, टेटिया-वम्बर।	30000=00	
11	प्रखंड विकास पदाधिकारी, तारापुर।	30000=00	
12	प्रखंड विकास पदाधिकारी, संग्रामपुर।	30000=00	
13	प्रखंड विकास पदाधिकारी, असरगंज।	30000=00	
कुल :-		500000=00 (पाँच लाख)	

(2) वित्त विभागीय स्थायी परिपत्र सं0-2561 दिनांक 17.04.98 में उल्लेखित निदेशों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय राज्यादेश सं0-996 दिनांक 14.05.2013 के आलोक में राज्य योजना अन्तर्गत बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना के अधीन माँग संख्या 51 मुख्य शीर्ष 2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष 60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष 102 समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन उप शीर्ष 0104 बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना विषय शीर्ष 1301 कार्यालय व्यय विपत्र कोड P-2235601020104 तथा स्कीम कोड WEL-5503 के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में व्यय हेतु कार्यालय व्यय मद में प्राप्त मो0-5,00000=00(पाँच लाख) रूपये मात्र का उपावंटन उक्त तालिका के अनुरूप किया जाता है।

(3) उपावंटित राशि का व्यय निम्नांकित कार्यों पर किया जायगा :-

(क) शिविर के माध्यम से पेंशन भुगतान की तैयारी में।

(ख) पेंशनधारियों का डाटा वेश/पंजी/प्रचार-प्रसार/एवं आवागमन हेतु वाहन मद में।

(4) उपावंटित राशि का व्यय सम्बंधी उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपरोक्त कंडिका-03 के अनुसार विहित प्रपत्र में कार्य अवयव के विवरणी के साथ उपलब्ध कराया जाय।

(5) उपावंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय, एवं अतिरिक्त राशि की माँग पूर्ण औचित्य के साथ संसमय की जाय।

(6) बिहार कोषागार संहिता के नियम 84 के तहत आपको उपावंटित की गई राशि की निकासी हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

उपर्युक्त निदेशों का कृपया दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

“हं”

सहायक निदेशक,
जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग,
मुंगेर।

ज्ञापांक...../सा0सु0को0,दिनांक.....

- प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी,सदर/खड़गपुर/एवं तारापुर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी,मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी,मुंगेर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- सहायक निदेशक,जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग,मुंगेर,को सूचनार्थ प्रेषित।

"ह०"

सहायक निदेशक,
जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग,
मुंगेर।

ज्ञापांक...41०.../सा0सु0को0,दिनांक...८/७/१३

- प्रतिलिपि :- NIC मुंगेर को सूचनार्थ एवं मुंगेर के वेवसाइट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।



सहायक निदेशक,
जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग,
मुंगेर।